

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-2
संख्या- 3290/नौ-2-2013-224सा/13
लखनऊ : : दिनांक: 30 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

शासनादेश संख्या-1515/नौ-2-2013-134सा/13 दिनांक 10.07.2013 एवं तत्कम में निर्गत शुद्धिपत्र संख्या-229एम/ 9-2-2013-134सा/13, दिनांक 25 जुलाई 2013 द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य श्री रजिमुल शेरवानी पुत्र श्री बिलाल अहमद का नामांकन एतद्वारा निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2सन 1916) की धारा-9 की उपधारा-(1) के खण्ड (घ) की शक्ति का प्रयोग करके श्री तारिक अहमद पुत्र श्री इखलाक अहमद निवासी मुहल्ला नवाब, ठंडी सडक, कासगंज को नगर पालिका परिषद कासगंज में नाम निर्दिष्ट सदस्य के रूप में नामित करते हैं :-

2. शासनादेश संख्या-1515/नौ-2-2013-134सा/13 दिनांक 10.07.2013 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-3290(1)/नौ-2-2013, तददिनांक

संयुक्त निदेशक (प्रभारी), राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग, लखनऊ को कि इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित कराकर उसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. आयुक्त, अलीगढ मण्डल, अलीगढ।
3. जिलाधिकारी कासगंज।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी/नामित सदस्यगण नगर पालिका परिषद कासगंज, (द्वारा जिलाधिकारी)
6. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर संल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

३